

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/9/26

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 6,33,723/- (छः लाख तेतीस हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 6,33,723/- (छः लाख तेतीस हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र सं	प्रमंडल का नाम	अध्याचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत राशि
1.	संरचना प्रमंडल, दरभंगा	33944	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मिल्लत कॉलेज, दरभंगा के रेनोवेशन कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24	443/ 02.11.23	₹ 6,33,723/- (छः लाख तेतीस हजार सात सौ तेईस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0103- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) विपत्र कोड-03.4225800510103 विषय शीर्ष-53- मुख्य कार्य-0103.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस.के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 8843 61

पटना, दिनांक:- 18/9/26

प्रतिलिपि:- सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।